

प्रेषक,

दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-१

लखनऊ : दिनांक १७ नवम्बर, 2020

विषय: प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में सम्पत्तियों के विषयगत यूनिक आईडी का निर्धारण एवं अंकन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उ0प्र0 अधिनियम 2 सन 1916), उ0प्र0 नगर निगम 1959 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन 1959) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित सम्पत्तियों के विवरण सूची के अभिलेख/रिकार्ड को रखते हुए निर्दिष्ट नियमों एवं विहित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

2. विभिन्न निकायों में सम्पत्ति की पहचान के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में एकरूपता न होने के कारण सम्पत्ति के विवरण की जानकारी (Property Identification) जन सामान्य को सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है। भारत सरकार द्वारा निर्गत विजनेस रिफार्म्स के सुधारात्मक घरण में इस बिन्दु को रेखांकित करते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सम्पत्तियों हेतु यूनिक प्राप्टी पहचान (Unique Property ID) की व्यवस्था लागू किये जाने की कार्यवाही की जाये।

3. उपरोक्त परिशेष में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में प्रत्येक सम्पत्ति हेतु 17 अंकों का एक यूनिक कोड निम्नवत् निर्धारित किया

18.११.२०२०

(अनुराग यादव) सचिव

नगर विकास विभाग  
उ0 प्र0 शासन

जाये:-

- (1) यूनिक कोड के प्रथम 2 अंक
- (2) यूनिक कोड के अंक 3 से 5
- (3) यूनिक कोड के अंक 6 से 7
- (4) यूनिक कोड के अंक 8 से 10
- (5) यूनिक कोड के अंक 11 से 16
- (6) यूनिक कोड के अंक 17

सम्पत्ति के लिए:

न

य

द

१

- सोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री (LGD (local government directory) के अनुसार प्रदेश का कोड।
- स्थानीय निकाय कोड।
- स्थानीय निकाय जोनल कोड
- स्थानीय निकाय वार्ड का कोड
- सम्पत्ति कोड
- विशेष अकार - 'R' आयासीय

'N' अनायासीय सम्पत्ति के लिए

'M' मिश्रित सम्पत्ति के लिए

इस प्रपार प्रदेश के प्रत्येक निकाय के प्रत्येक सम्पत्ति के लिए 17 अंकों वाला एक ग्रनिक फोल नियमण प्रदर्शित होगा:-

राज्य कोड (2 अंक)	निकाय कोड (3 अंक)	जोन कोड (2 अंक)	वर्ड कोड (3 अंक)	सम्पत्ति/भूखण्ड फोल (0 अंक)	विशेष अधार (1 अंक)	कुल कोड (17 अंक)

राज्य के अधिकारी निकायों में सम्पत्तियों की सूची वा डिजिटाइजेशन/काम्प्यूटराइजेशन की कार्यवाही पूर्व से कर ली गयी है। अतएव उपरोक्त विधान सिंजिटी/काम्प्यूटराइज़ रिकार्ड में सूचीक आई दी आवंटन के विषयगत विभाग द्वारा बनायी गयी ई-नगर सेवा पोर्टल <http://e.nagarsewa.up.nic.in> पर वर्णित निवेशों के अनुसुप निकाय द्वारा सूचीक आई दी की व्यवस्था को तत्काल लागू करना सुनिश्चित करें। इस विषयगत प्रणाली की नियमित रूप से समीक्षा की जाये एवं उक्त प्रक्रिया के लिये किये जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई/सुलगाव हेतु मुख्यालय पर मुख्य संगचयक (आईटी), श्री मोहन ठाकुर मोहन 9415028591, ई-मेल आईडी [mt.egov18@gmail.com](mailto:mt.egov18@gmail.com) से सम्पर्क किया जा सकता है।

मबदीय

(दीपक कुमार)  
प्रमुख सचिव।

### संख्या एवं दिनांक संदर्भ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. रेस्टार्फ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, अपस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/कर्जा/न्याय/विधायी/स्टाप्स एवं पंजीयन/आवास एवं शहरी नियोजन/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/सूचना/संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, च०प्र०।
5. निदेशक, रथानीय निकाय निदेशालय च०प्र० को इस असव फे साथ प्रेषित कि तदनुसार समस्त नगरीयों निकायों में उपरोक्त आदेशों के अनुयालन कराये जाने हेतु ऑनलाइन हैण्ड ऑन ड्रेनिंग समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा-से,

(अवनीश कुमार शर्मा)  
विशेष सचिव।